

आदेश, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

155

वाद सं०- 112 / 2018

धारा-107 द०प्र०सं०

श्री० अम्बिका देवी वंशदेव बनाम अश्विनाथ रावत वंशदेव

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	<p>अभिलेख सं०-एम. 112 / 2018 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत शाना प्रगारी सीताबाबु (राँची) के अप्राथमिकी सं०- 39/18 दिनांक- 11-08-18 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि महेन्द्रपुर मौजा अन्तर्गत खाला सं० 570, 571 पर उत्पन्न विवाद को लेकर उभय पक्ष में तयार हुआ</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा अरांतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) ₹0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 05/10/18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p>	

आदेश पर की गई कार्रवाई एवं रिपोर्ट तारीख सहित

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई एवं रिपोर्ट तारीख सहित

5-05-19

आमि लैरन उपस्थापित । प्रथम पल अधिवक्ता धवरी दिनांक 01 उपस्थित अन्य अधिवक्ता धवरी । अन्य पल डागली विधि को जमान दायित्व को दिनांक 27-05-19 को रखें ।

  
13/05/19

27-05-19

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई । कार्यो दृष्टाव अवकाश पर । दिनांक - 07-06-19 को रखें ।

07-06-19

आमि लैरन उपस्थापित । प्रथम पल क्रमांक 02 उपस्थित अन्य अधिवक्ता धवरी दिनांक 02 उपस्थित अन्य अधिवक्ता धवरी । उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूरी हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है । अतः वाद में आमि लैरन को कालवधि बन्द की जाती है ।

  
07/06/19